7/1/2020 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। मामले में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रामजीवन ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 251 'क' RT Act का पेश कर अपने खातेदारी खेत ख॰नं॰ 1787 में आवागमन हेतु अपीलांटगण के खेत ख॰नं॰ 1786 में से रास्ता मांगा। आवेदन पर [illegible] उसी रोज दि. 5.5.18 को मौका कमीशन का आदेश जारी किया और बाद प्राप्ति रिपोर्ट अपीलाधीन आदेश जारी किया जो एकतरफा (Ex parte) है क्योंकि मौका जांच के वक्त अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी गई व न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। ख॰ नं॰ 1786 में नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार

P.T.O.

उभय पक्ष उपस्थित

7.1.2020 पश्चिमी भाग पर 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया गया है। यह रास्ता ख० नं० 1784 तथा 1786 की उभयनिष्ठ भाग पर दिया जाता तो ज्यादा उपयुक्त रहता इसलिए अपीलांट आदेश विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते और बताया कि ख० नं० 1786 व ख० नं० 1784 ग्राम खांगटा में खातेदारों द्वारा नक्शे में दर्शित अनुसार क्रमश: 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी तथा 2 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि राज्य सरकार को समर्पित की है जो दोनो खसरों की उभयनिष्ठ भाग (ख० नं० 1786 की पूर्वी भाग) पर है जो सार्वजनिक रास्ता के रूप में प्रार्थी-रेस्पोडेंट को अब उपलब्ध है। अधिवक्ता अपीलांट ने फार्म नं. 3 के साथ उक्त दोनो समर्पणनामों की प्रतियाँ मय तहसीलदार पीपाड़शहर द्वारा पटवारी हलका खांगटा को इन समर्पणनामों के अनुसार भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के पत्र/ आदेश के पेश की जो शामिल मिसल की गई है, इस आदेश के साथ नक्शा किश्तवार (P-35 का क्रमांक 1885/ 12/7/18) भी संलग्न किया है जो पत्रावली में उपलब्ध है, इन नक्शे में समर्पित भूमि को दर्शाया हुआ है। अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी बताया कि उक्त समर्पित भूमि सलंग्न भूमि के ख० नं० 1785 की भूमि से सीधी जुड़कर ख० नं० 1783 के खातेदारों के लिए भी रास्ते के रूप में आने जाने हेतु उपयोग में लेने के लिए सुलभ हो रही है इसलिए रास्ते का यह उपलब्ध बेहतर विकल्प प्रार्थी-रेस्पोडेंट के लिए भी उपयोगी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने भी अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश से जो रास्ता दिया गया है वह सीधा सड़क से जुड़ता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर ख० नं० 1786 में प्रदत्त रास्ता जो इसकी पूर्वी भाग पर B से C दर्शित करते उपलब्ध कराया है वह सही है। रास्ते की महत्ती आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है। अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है और इसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जावे।

P.T.O

[signature]

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.2020	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी/रेस्पाडेंट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के मद्देनजर अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिया गया है। अपीलांट पक्ष का तर्क रहा है कि रास्ता दोनों खसरों की उभयनिष्ठ सीमा पर दिया जाना उचित और न्यायसंगत है। चूंकि प्रस्तुत समर्पणनामों और तहसीलदार पीपाड़ शहर के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपीलांटगण द्वारा प्रकट की गई मंशा के अनुरूप दोनो ख.नं. 1786 व 1784 में से भूमि समर्पित होकर इनकी उभयनिष्ठ मार्ग (सीमा) पर राज्य सरकार में निहित हो चुकी है और वह राजकीय भूमि ख.नं. 1785 से जुड़ जाती है जो आगे सड़क तक भी पहुंच जाती है। रेस्पाडेंट-प्रार्थी के लिए रास्ता का विकल्प उपलब्ध हो चुका है इसलिए अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते की अब आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस तथ्य को रेस्पाडेंट ने भी बाद रिकॉर्ड अवलोकन उचित मानकर अंगीकार किया गया है लिहाजा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश को यथावत रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि रेस्पाडेंट-प्रार्थी को इससे बेहतर विकल्प रूप में रास्ता हेतु राजकीय भूमि बिना किसी प्रतिकर राशि के प्राप्त हो रही है, उपलब्ध हो रही है। अपीलांटगण ने भी अपनी खातेदारी ख.नं. 1786 का कुछ भाग समर्पित किया है जिससे रेस्पाडेंट की रास्ते की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इससे उभय पक्ष के अलावा ख.नं. 1783 के खातेदारों को भी आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा। समग्र रूप में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीपाड़ शहर रेस्पाडेंट द्वारा प्रतिकर रूप में यदि कोई राशि जमा करवाई है तो, उसे पुनः लौटा दे। वह समर्पित भूमि का P.T.O	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद और लट्ठा ट्रेस में उपरोक्तानुसार तरमीम सुनिश्चित करें। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय इस आदेश की प्रति के लौटाई जावे। राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर